पत्र सं0-विधि-2(1)-प्रवेश कर अधिनियम /नियमावली- 2012-13 / 1391/ **1213082 / 04-01-2013** / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश
(विधि-अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक 04.01.,2013

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर , वाणिज्य कर,
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,
समस्त डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर , वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

मुख्यालय पर अनेक व्यापारिक संगठनों द्वारा इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर नियमावली - 1999 की धारा 5(1) में प्राविधानित फार्म-ई को प्रवेश कर से कर मुक्ति हेतु साक्ष्य के रुप में स्वीकार किये जाने की व्यवस्था रही है । बाद में उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम-2000 निरसित कर दिया गया तथा उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर कर अधिनियम-2007 प्राविधानित किया गया जो पूर्वगामी प्रभाव से लागू है । इस नए अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में कर नियमावली-2008 लागू की गयी, जिसमें संशोधन करते हुये उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर कर (प्रथम संशोधन) नियमावली-2010 विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-122/ग्यारह-9-(107)/07-उ0प्र0एक्ट-30-2007-आदेश-(53)-2010 दिनांक 19.01.2010 निर्गत की गयी थी, जिसके नियम 5(1) के अनुसार उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम- 2007 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम-2009 की धारा-4 की उपधारा-(3ए) में निर्दिष्ट कर के भुगतान के साक्ष्य के संबंध में घोषणा पत्र के लिये फार्म-डी निर्धारित किया गया था । फार्म-डी की यह व्यवस्था नियमावली में चूंकि 19-1-2010 के नियमावली के संशोधन द्वारा की गयी तथा फार्म-डी छपकर भी व्यापारियों को मार्च, अप्रैल, 2010 के उपरान्त मिले है। अत: यह अनुरोध किया गया है कि मुख्यालय के परिपत्र सं0 विधि-2(1)-प्रवेश कर अधिनियम, नियमावली - 194-(2009-2010) / 1320 / 1011053 / वाणिज्य कर दिनांक 04 अक्टूबर 2010 द्वारा 24.09.2008 तक की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम-2008 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (प्रथम संशोधन) नियमावली -2010 में प्राविधानित फार्म-डी अथवा उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर नियमावली -1999 में प्राविधानित फार्म-ई में से कोई एक फार्म के प्रस्तुतीकरण पर प्रवेश कर की करमुक्ति का लाभ दिए जाने की जो व्यवस्था की गयी है उसे अग्रेत्तर अवधि के लिये भी प्रदत्त किया जाए ।

2- उक्त संबंध में तथ्यों के परिशीलन से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर कर (प्रथम संशोधन) नियमावली-2010 विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-122/ग्यारह-9-107)/07-उ0प्र0एक्ट-30-2007-आदेश-(53)-2010 दिनांक 19.01.2010 निर्गत की गयी थी, जिसके नियम 5(1) के अनुसार उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर अधिनियम-2007 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम-2009 की धारा 4 की उपधारा-(3ए) में निर्दिष्ट कर के भुगतान के साक्ष्य के संबंध में घोषणा पत्र के लिये फार्म-डी निर्धारित किया गया था ।

3- अत: समस्त अन्तर्निहित तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त परिपत्र सं0 विधि-2(1)-प्रवेश कर अधिनियम नियमावली-194-(2009-2010) / 1320 /1011053 / वाणिज्य कर दिनांक 04 अक्टूबर 2010 द्वारा निर्गत निर्देशों को संशोधित करते हुये यह निर्देश दिए जाते हैं कि दिनांक 19.01.2010 के पूर्व की अवधि के लिए स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली-2008 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली - 2008 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (प्रथम संशोधन) नियमावली-2010 में प्राविधानित फार्म-डी अथवा उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर नियमावली-1999 में प्राविधानित फार्म-ई में से कोई एक फार्म व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो व्यापारी को इसका लाभ दे दिया जाए तथा उक्त अवधि के उपरान्त उपरोक्त फार्म-डी ही स्वीकार किए जायें ।

4- अत: प्रवेश कर के प्रकरणों में तद्नुसार कार्यवाही की जाए ।

(हिमांशु कुमार)
कमिश्नर , वाणिज्य कर, उ0प्र0
लखनऊ

<u>पृ0प0सं0एवं दिनॉक उक्त ।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग,उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय,लखनऊ।
(2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना ,उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ।
(3) सॅयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, ,उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ (दो प्रतियो में)
(4) अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवॅ समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर,उ0प्र0
(5) समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।
(6) समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर , उ0प्र0 मुख्यालय लखनऊ ।
(7) एडीशनल कमिश्नर,ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0/ अपील), वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश ।
(8) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक / वि0अनु0शा0 / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, ,उत्तर प्रदेश ।
(9) समस्त डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेंट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी (क0नि0 / वि0अनु0शा0 / स0द0) वाणिज्य कर,, उत्तर प्रदेश ।
(10) अपर निदेशक सॅयुक्त निदेशक / उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान,गोमती नगर,लखनऊ ।
(11) महालेखाकार, 171ए अशोक नगर,इलाहाबाद ।
(12) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी,सतर्कता अधिष्ठान ,विक्रमादित्य मार्ग ,लखनऊ।
(13) प्रबन्धक,इसेंटिव,,पिकप,राणाप्रताप मार्ग लखनऊ ।
(14) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, ,उत्तर प्रदेश ।
(15) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल,रेवेन्यू आडिट विंग,स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मांर्ग, इलाहाबाद।
(16) विकास आयुक्त,नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंगं जोन,सेक्टर 10नोयडा ।
(17) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 /ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिश्नर,सर्वोच्च न्यायालय कार्य)गाजियाबाद ।
(18) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी 0कमि0/असि0कमि0(उ0न्या0कार्य0)लखनऊ/इलाहाबाद।
(19) मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमश: 5- 5 तथा 10प्रतियॉ में ।
(20) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियॉ ।
(21) समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर,मुख्यालय ।
(22) अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो0 7, देवेन्द्र पुरी कालोनी ,बांसमण्डी, लखनऊ ।
(23) अधिशासी निदेशक,उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू,लखनऊ ।
(24) श्री हुलास राय सिंघल, राष्ट्रीय अध्यक्ष,समाजवादी व्यापार सभा, कैम्प कार्यालय इण्डस्ट्रियल इस्टेट, रेलवे रोड, देवबन्द (सहारनपुर) उ0प्र0 ।
(25) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,87/349 आर्या नगर,सगीत टाकिज के पीछे कानपुर ।
(26) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,कंछल कुॅज, 66,शास्त्री नगर,लखनऊ ।
(27) श्री संदीप बंसल,सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति , 29बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ।
(28) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स ,14/26 सिविल लाइन्स कानपुर ।
(29) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ ।
(30) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ ।
(31) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड,लखनऊ ।
(32) आल इन्डिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद ।
(33) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर,लखनऊ ।
(34) राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) के माध्यम से ।
(35) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स,सुल्तानपुर रोड,रायबरेली ।

(36) श्री नरेन्द्र कु0 गुप्ता, (नन्दी) राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी, समाजवादी व्यापार सभा (कैम्प कार्यालय 1/274, चिरंजीव विहार, निकट चांसलर क्लब, गाजियाबाद।

(37) शिवकुमार अरोड़ा,एडवोकेट,अध्यक्ष, दि उ0प्र0 टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार,एस0एस0कालेज रोड,खतौली,मुजफ्फरनगर।

(38) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर।

(39) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी,बनारस ।

(40) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़,15 टैगोर टाउन इलाहाबाद।

(41) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ।

(42) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट,अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी,सिगरा वाराणसी।

(43) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1,कुँजगली,चौक,वाराणसी।

(44) श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लाक ए सेक्टर 27 नोयडा।

(45) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी)उ0प्र0ट्रक आपरेटर्स ,फेडरेशन (रजि0),पुलदाल मण्डी सहारनपुर।

(46) आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी ,इलाहाबाद।

(47) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद।

(48) श्री शैलेश मिश्रा, महामॅत्री, लोहा व्यापार मंडल उ0प्र0 प्रदेश ,19 सुरेशबाग, कानपुर।

(49) इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक,मु0नगर।

(50) संयोजक,टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0,52,नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ

(51) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस , आगरा ।

(52) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।

(53) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स,गोखले मार्ग लखनऊ।

(54) श्री दिनेश अरोरा उ0प्र0 वनस्पति प्रोडूयसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर।

(55) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ।

(56) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सॅगठन मन्त्री,अखिल भारतीय उदयोग व्यापार मण्डल,(पॅजी0-बी-29,विधायक निवास, दारुल शफा,लखनऊ ।

(57) माननीय अध्यक्ष,व्यापार कर सलाहकार समिति,सचिवालय,लखनऊ।

(58) श्री गोपाल अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष , समाजवादी व्यापारी सभा , उ0प्र0, 6ए, राजभवन कालोनी, लखनऊ।

(59) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए,उ0 बी0एन0रोड,अमीनाबाद लखनऊ।

(60) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन ,विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ।

(61) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड ,कैसर गंज रोड मेरठ ।

(62) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट ,हाथरस।

(63) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर।

(64) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उार प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ0प्र0)

(65) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ0प्र0उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद।

(66) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष,राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर,गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ, ।

(67) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद।

(68) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिशन, आर0डी0सी0-51, राजनगर , गाजियाबाद।

(69) श्री बी0एन0शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, 1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ।

(70) श्री अमरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, 244/65, यहियागंज, लखनऊ।

(71) श्री रवि सन्डूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी-194, सेक्टर-10, नोयडा, गौतमबुद्ध नगर (यू0पी0)

(72) श्री आलोक कुमार गुप्ता, महासचिव, यू0पी0 पेपर मर्चेन्ट्स, एसोसिएशन, एफ 43, सेक्टर-11, नोएडा।

(योगेन्द्र कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर
मुख्यालय , लखनऊ